न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 27/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनीष सहू पुत्र सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. सन्दीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया – वकील वादी
2. श्री मनीराम सहू – वकील प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक :– 6.6.2023

वादी मनीष सहू ने प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 19.01.2023 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का इकलौता पुत्र हैं। यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 9 बीजीपी–ए खाता सं. 81/77 जं.सं. 2071/2074 में 0.506है. व चक नं. 10 बीजीपी के खाता सं. 79/11 जं.सं. 2070–2073 में 1.265है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलग्न वादपत्र हैं। यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है।

लगातार–2–

6/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थान ढाबां

प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 9 बीजीपी–ए खाता सं. 81/77 जं.सं. 2071/2074 में 0.506है. व चक नं. 10 बीजीपी के खाता सं. 79/11 जं. सं. 2070–2073 में 1.265है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की विरासतन प्राप्त भूमि हैं। इस भूमि में वादी का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि का घरू–वंटवारा कर रखा हैं। वादी के हिस्सा में चक नं. 2 डीएनजी खाता सं. 115/4 की 1.518 है. भूमि आई हैं। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई हैं। इसलिए वादी चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 9 बीजीपी–ए खाता सं. 81/77 जं.सं. 2071/2074 में 0. 506है. व चक नं. 10 बीजीपी के खाता सं. 79/11 जं.सं. 2070–2073 में 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 ता 3 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी की ओर से कुल 1 ता 3 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

6/6

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थान ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगातार–3–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 6/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/6/2023

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
शिविर स्थल ढाबा

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 27/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

मनीष सहू पुत्र सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. सन्दीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 6.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 115/4 ज.सं. 2071–2074 में 1.518 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....x....नल....x....मुब्लिक....x....निल....x....बाबत....x....निल....x.... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....x....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.6.2023 जारी किया गया।

6/6/2023
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
ढाबां